(78)

न्यायालय राजस्व मण्डल, म०प्र० ग्वालियर

समक्ष

एस०एस०अली

सदस्य

प्रकरण क्रमांक : तीन– निगरानी–अशोकनगर/भू0रा0/2018/433 – विरूद्ध– आदेश दिनांक 28–11–2017 – पारित व्दारा – अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर – प्रकरण क्रमांक 43/2013–14 अपील

सूर्यनारायण पुत्र स्व. कामताप्रसाद मिश्रा
बसंत की गली चन्देरी
जिला अशोकनगर मध्य प्रदेश ——आवेदक

विरूद्ध

1– बीरेन्द्र नारायण पुत्र स्व. कामताप्रसाद मिश्रा
2– श्रीमती पुष्पावाई पत्नि स्व.जगदीश नारायण मिश्रा
3– प्रमोदनाराण मिश्रा 4– चन्द्रनारायण 5– अरबिन्दनारायण
6– जितेन्द्र नारायण 7– दीनानाथ सभी पुत्रगण
स्व. जगदीशनारायण मिश्रा ,
8– अबंतिका वाई पुत्री स्व.जगदीश नारायण मिश्रा
निवासीगण बसंत की गली, चन्देरी जिला अशोकनगर
9– देवनारायण पुत्र स्व. जगदीश नारायण मिश्रा
निवासी पंचमनगर चन्देरी जिला अशोकनगर
10–देवेन्द्रनारायण पुत्र पुरूषोत्तम नारायण मिश्रा
11– सुरेश नारायण 12–महेन्द्रनारायण पुत्रगण लक्ष्मीनांरायण मिश्रा
दोनों बसंत की गली, चन्देरी जिला अशोकनगर
13– उर्मिलादेवी पुत्री स्व. लक्ष्मीनारायण मिश्रा
निवासी जवहारवाड़ बीना जिला सागर
14– बद्री पुत्र नित्यानन्द निवासी तालबेहट जिला ललितपुर उ.प्र.

15- बसुन्धरा पत्नि दिनेश रिछारिया निवासी शक्तिनगर भोपाल

16- अर्चना शुक्ला पुत्री नित्यानन्द विलगईया निवासी
सुगन मंदिर के पीछे ललितपुर उत्तर प्रदेश ——अनावेदकगण

(आवेदक के अभिभाषक श्री एस.के.धाकड़)
(अनावेदकगण के अभिभाषक श्री जी0पी0नायक एंव श्री बी.के.शुक्ला)

आ दे श
(आज दिनांक 3-4-2019 को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर के प्रकरण कमांक 43/2013-14 अपील में पारित आदेश दिनांक 28-11-2017 के विरूद्ध म.प्र. भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि तहसीलदार चन्देरी ने प्रकरण कमांक 36 अ 27/10-11 में पारित आदेश दिनांक 8-2-2012 से उभय पक्ष के बीच चंदेरी स्थित भूमि सर्वे कमांक 747 रकबा 0.094 हैक्टर का बटवारा करते हुये भूमि बटांकित की। इस आदेश के विरूद्ध आवेदक ने अनुविभागीय अधिकारी चन्देरी के समक्ष अपील प्रस्तुत की। अनुविभागीय अधिकारी चंदेरी ने प्रकरण कमांक 18/2011-12 अपील में पारित आदेश दिनांक 23-8-2013 से अपील निरस्त कर दी। आवेदक ने इस आदेश के विरूद्ध अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर के समक्ष अपील प्रस्तुत की। अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर ने प्रकरण कमांक 43/2013-14 अपील में पारित आदेश दिनांक 28-11-2017 से अपील अस्वीकार कर दी। अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर के इसी आदेश से परिवेदित होकर यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ आवेदक के अभिभाषक का तर्क है कि तहसीलदार न्यायालय ने आदेश दिनांक 8-2-2012 से जो बटवारा किया है वह असमान्य बटवारा है किसी भी पक्षकार को व्यक्तिगत रूप से सूचित नहीं किया गया है बटवारा एकपक्षीय है। वादग्रस्त भूमि के संबंध में व्यवहार न्यायालय चन्देरी में प्रकरण

चला है एंव आपसी समझौते के आधार पर बटवारा करना चाहिये था। जब यही तथ्य अनुविभागीय अधिकारी चंदेरी के समक्ष एंव अपर आयुक्त ग्वालियर के समक्ष बताये गये , उन्होंने वास्तविकता पर ध्यान नहीं देते हुये अपील निरस्त करने में भूल की है असमान्य बटवारा होने से तीनों न्यायालयों के आदेश दोषपूर्ण है जिन्हें निरस्त किये जाने की मांग रखी गई।

अनावेदकगण के अभिभाषक का तर्क है कि आपसी समझौते के आधार पर बटवारा कार्यवाही हुई है। समझौते के आधार पर पारित आदेश के विरूद्ध अपील नहीं होती है। सभी पक्षकारों को सुना गया है पटवारी ने सहमति पर फर्द बनाई है फर्द का प्रकाशन भी हुआ है परन्तु आवेदक जानबूझकर अलग अलग स्थानों पर रहने वाले परिजनों को परेशान करने में लगा है उन्होंने निगरानी निरस्त करने की मांग रखी।

5/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्को पर / निगरानी मेमो में अंकित तथ्यों के कम में अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेख का अवलोकन किया गया। अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर के प्रकरण में बटवारे के अनुबंध पत्र दिनांक 12-1-1993 की छाया प्रति संलग्न है जिस पर हितधारी जगदीश नारायण, सूर्यनारायण, बीरेन्द्र नारायण के सहमति के हस्ताक्षर है जिसमें भूमि सर्वे नंबर 748 रकबा 0.031 है. का वटवारा करना मान्य किया गया है। तहसीलदार चन्देरी ने प्रकरण कमांक 36 अ 27/10-11 में फर्द तैयार कराकर प्रकाशन कराया है एंव फर्द पर सूर्यनारायण (आवेदक) ने आपत्ति प्रस्तुत की है यह आपत्ति आवेदन तहसीलदार के प्रकरण में पृष्ठ 15, 16 पर संलग्न है जिसके अंत में सूर्यनारायण (आवेदक) ने निम्नानुसार अनुतोष मांगा है :-

अतः श्रीमान से निवेदन है कि श्रीमान व्यवहार न्यायाधीश महोदय वर्ग-2 चंदेरी के प्र.क्र. 13 ए/94 के जयपत्रानुसार बटवारा किया जाकर तद्नुसार राजस्व रिकार्ड तथा मानचित्र में अंकन किये जाने का आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

सूर्यनारायण (आवेदक) का दूसरा आपत्ति आवेदन तहसीलदार के प्रकरण में पृष्ठ 19 पर संलग्न है। तहसील न्यायालय में सूर्यनारायण (आवेदक) एंव उनके

अभिभाषक श्री पठान ने उपस्थित रहकर पक्ष प्रस्तुत किया है, इसके वाद भी आवेदक के अभिभाषक व्दारा यह तर्क प्रस्तुत करना , कि आवेदक को तहसीलदार ने सूचना नहीं दी है एंव सुना नहीं है यह तर्क वास्तविकता के विपरीत होने से माने जाने योग्य नहीं है ।

6/ तहसीलदार चन्देरी व्दारा पारित आदेश दिनांक 8-2-2012 के अवलोकन से पाया गया कि तहसीलदार ने परिवार के सभी 7 हिस्सेदारों को समान भाग में भूमि सर्वे कमांक 747 को बटांकित करते हुये प्रत्येक को 0.10 रकबा समानुपात में बटवारे में दी है। फर्द का प्रकाशन हुआ है । फर्द पर आई आपत्तियों का निराकरण करते हुये म0प्र0 भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 178 में दिये गये प्रावधानों के अनुरूप समानुपात में बटवारा किया गया है जिसके कारण तहसीलदार चन्देरी व्दारा पारित आदेश दिनांक 8-2-2012 में अनुविभागीय अधिकारी चन्देरी ने आदेश दिनांक 23-8-13 पारित करते समय तथा अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर ने आदेश दिनांक 28-11-17 पारित करते समय हस्तक्षेप नहीं किया किया है। तीनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेशों में निकाले गये निष्कर्ष समवर्ती हैं जिसके कारण विचाराधीन निगरानी में हस्तक्षेप की गुॅजायश नहीं है।

7/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी सारहीन होने से निरस्त की जाती है एंव अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर व्दारा प्रकरण कमांक 43/2013-14 अपील में पारित आदेश दिनांक 28-11-2017 उचित होने से यथावत् रखा जाता है।

(एस०एस०अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर